विन्दु सं० –1

51

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

वित्त समिति की कार्यवृत्ति

वित्त समिति की बैठक दिनांक 12 जनवरी, 2016 को सांय 3.00 बजे प्रशासनिक भवन कुलपति कार्यालय में आहूत की गयी।

बैठक में निम्नवत् अधिकारीगण उपस्थित रहे:–

1.	डा0 एस0 बी0 निमसे	कुलपति	अध्यक्ष	उपस्थित
2.	प्रो0 यू0एन0 द्विवेदी	प्रतिकुलपति	सदस्य	उपस्थित
3.	श्रीमती मधु जोशी,	विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ	सदस्य	उपस्थित
4.	श्री ओ.पी. द्विवेदी,	विशेष सचिव (वित्त), उ0प्र0 शासन, लखनऊ	सदस्य	उपस्थित
5.	डा0 अखिलेश मिश्रा	कुलसचिव	सदस्य	उपस्थित
6.	श्री एस.के शुक्ला,	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य	उपस्थित
7.	श्री सुरेश चन्द्र उपाध्याय	वित्त अधिकारी	सचिव सदस्य	उपस्थित

कार्यवृत्त

बिन्दु संख्या–01

वित्त समिति की बैठक दिनांक 06 नवम्बर,, 2015 की कार्यवृत्त एवं अनुपालन आख्या का अनुमोदन निम्नांकित संस्तुति के साथ किया गया:–

06-11-15 बिन्दु संख्या –2 में उल्लिखित धनराशि रू0 97,90,806/– टंकित होना चाहिए था।

" " बिन्दु संख्या –4 द्वितीय पंक्ति में उल्लिखित दिनांक 01.11.2016 के स्थान पर 01.11.2015 होना चाहिए।

" " अन्य बिन्दु संख्या –2 विश्वविद्यालय प्रांगण में छत्रपति शिवा जी महराज की मूर्ति स्थापित करने हेतु राज्यपाल महोदय से प्राप्त सुझाव के अनुरूप व्यावसायिक शिल्पकार से मूर्ति निर्मित कराने का निर्णय लिया गया है। तत्कम में विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने मुम्बई, पुणे, बडौदरा, आगरा एवं स्थानीय शिल्पकारों से सम्पर्क कर प्रस्ताव प्राप्त किया गया तथा उक्त अधिकारियों द्वारा की गयी संस्तुति के अनुरुप श्री उत्तम पॉचारणे से 13.6 फिट की ऊँची मूर्ति कुल लागल रू0 27 लाख में निर्मित कराने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या–2

मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार 19 याचिकों को रू0 चार लाख प्रति व्यक्ति की दर से कुल रू0 76,00,000/–(रू0 छियत्तर लाख) का भुगतान कर अनुपालन सुनिश्चित करने पर सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु संख्या–3

डा0 अमर जीत यादव, प्रवक्ता (कोर फैकल्टी), मानव चेतना योगिक विज्ञान संस्थान लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 1311(एस./बी.) 2015 में पारित आदेश दिनांक 03.09.2015 के कम में प्रस्तुत डा0 यादव के प्रत्यावेदन पर नियत वेतन बढोत्तरी के सम्बन्ध में निम्नांकित संस्तुति की गयी:–

(अ) डा0 यादव का नियत वेतन बढाकर रू0 30,000/– प्रतिमाह कर दिया जाए। इसमें वार्षिक वेतन वृद्धि नही दी जाएगी।

(ब) अगर स्ववित्त पोषित पाठ्यकमों के अन्य सहायक प्रोफेसर की भॉति यह भी अधिकतम 5 वर्ष की नियुक्ति हेतु सहमति दी जाती है तो उन्हें भी प्रत्येक वर्ष रू0 2500/– वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी जिससे कि विश्वविद्यालय में एक रूपता बनी रहेगी। यह भी निर्णय लिया गया कि उनके नियुक्ति से सम्बन्धित अभिलेखों आदि की छानबीन भी कर ली जाए।

12/1
F.O.

बिन्दु संख्या–4

प्रो0 राज कुमार सिंह निदेशक, मानव चेतना योगिक विज्ञान संस्थान लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा पी.जी. डिप्लोमा/परास्नातक उपाधि नैचुरोपैथिक एवं योगा (स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम) हेतु रू0 25,000/– प्रतिमाह (नियत वेतन) की दर से संविदा पर दो योगा इन्स्ट्रक्टर को योजित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अन्य बिन्दु मा0 अध्यक्ष महोदय की सहमति से।

अन्य बिन्दु संख्या–1

कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार यू.जी.सी. रेगुलेशन 2009 का मूल्य रू0 300/– प्रति करने पर सहमति व्यक्त की गयी।

(मधु जोशी)
विशेष सचिव, उच्च शिक्षा,
उ0प्र0 शासन

(ओ.पी. द्विवेदी)
विशेष सचिव (वित्त),
उ0प्र0 शासन

(सुरेश चन्द्र उपाध्याय)
वित्त अधिकारी

(डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
कुलसचिव

(एस. के. शुक्ला)
~~वित्त~~ परीक्षा नियंत्रक

(डा0 एस.बी. निमसे)
कुलपति